भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2483
11 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

विशेष परिवार पेंशन

2483. श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैंतीस वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद, न्यायालय ने राजपूताना राइफल्स में कार्यरत रहे ऑनरेरी कैप्टन हरि सिंह परमान की पत्नी को विशेष परिवार पेंशन देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो मंत्रालय के समक्ष ऐसे कितने मामले लंबित हैं जिनमें शहीदों के आश्रितों को लाभ पाने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है;

(ग) क्या सरकार के पास ऐसे गंभीर मामलों में समयबद्ध तरीके से ऐसे विवादों को निपटाने के लिए कोई तंत्र मौजूद है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार उस तंत्र को और अधिक संवेदनशील और प्रभावी बनाने पर विचार करेगी?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) ऑनरेरी कैप्टन हरि सिंह परमान की पत्नी ने वर्ष 2023 में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी), लखनऊ बैंच में केस दर्ज किया था और माननीय एएफटी ने दिनांक 16.07.2025 को उनके पक्ष में निर्णय दिया है।

(ख) विभाग/मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कोई डाटा नहीं रखा गया है।

(ग) एवं (घ) जी हां, सरकार ने न्यायालय आदेशों के क्रियान्वयन के लिए समयसीमा निर्धारित करते हुए एक विस्तृत स्थायी प्रचालन प्रक्रिया (स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर) तैयार की है। तंत्र को और अधिक संवेदनशील और प्रभावी बनाने के लिए एक शिकायत निवारण प्रणाली भी कार्यरत है।

****